फर्द अहकाम

महावीर बनाम राज्य सरकार वगै0

न्यायालय

केस संख्या 85/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/01/24	प० वादी उप०। रिपोर्ट अप्राप्त। रिपोर्ट हेतु पुनः तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट T.A.R दिनांक 09/02/24 को पेश हो। [signature]	
	9/02/24	प० वादी उप० कार्यालय समयाभाव के कारण तहरीर जारी नहीं हुई। तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते बहवालात रिपोर्ट T.A.R दिनांक 15/3/24 को पेश हो। [signature]	
	15/3/24	प० वादी उप०। पत्रावली बहवालात रिपोर्ट T.A.R हेतु दिनांक 4/4/24 को पेश हो। [signature]	
	4/4/24	प० वादी उप०। पत्रावली में रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली वास्ते अवलोकन रिपोर्ट हेतु दिनांक 8/4/24 को पेश हो। [signature]	
	8/4/24	प० वादी उप० बहस सुनी। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज्ञा वादी का वाद अस्वीकार कर [illegible] निर्णय [illegible] विस्तृत [illegible] आज्ञा [illegible] जारी हो। पत्रावली नियमानुसार [illegible] नकल से [illegible] हो। [signature]	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

महावीर बनाम राजस्थान सरकार
मु0 नं0 85/2022
निर्णय दिनांक 08.04.2024

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–85/2022

उनवान

1. महावीर पुत्र शंकरलाल , उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहामण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–08.04.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जोकि काश्त कर अपना जीवन यापन करते हैं। वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 5719 रकबा 0.14 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि वादपत्र में विवादग्रस्त है। उक्त भूमि पर वादी ने अपने पालतू जानवरों के रहवास हेतु तथा चारा पानी आदि के लिए टीनशेड लगा रखे है तथा पीने के पानी हेतु हौद का निर्माण कर रखा है। उक्त कब्जेशुदा भूमि पर वादी ने बोरिंग बना रखा है तथा स्वयं के नाम से एक विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 15050243 विद्युत विभाग से प्राप्त कर रखा है एवं 8.8 फीट चौडा हनुमानजी का मन्दिर बना रखा है, शेष भूमि में वादी की रंजके की फसल खडी है। इस प्रकार वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त है। उक्त भूमि पर अर्सा दराज कदीमी से वादी के दादा, परदादा व उनकी मृत्यु उपरान्त वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि खसरा 5719 रकबा 0.14 है0 के गत खसरा नम्बर 2922/1 है। उक्त भूमि की खसरा परिवर्तन सम्वत् 2050 से लेकर आज दिवस [illegible] के नाम से चली आ रही है। इसके संबंध में वादी द्वारा सरकार को लगान भी [illegible] भूमि का दिया गया है, जिसकी रसीद भी वादी के नाम से जारी की [illegible]। उक्त भूमि [illegible] में अपने पालतू जानवरों के रहवास हेतु तथा चारों पानी आदि के लिए टीनशेड लगा रखे है तथा पीने के पानी हेतु हौद का निर्माण कर रखा है। उक्त भूमि पर दिनांक 06.10.[illegible] को प्रतिवादीगण के अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:17:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

स्त पटवारी हल्का खेजरोली द्वारा विवादग्रस्त भूमि में मौके पर आकर वादी की फसल को जबरिया नष्ट कर भूमि खाली करवाने की धमकी दी गई जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर भूमि विवादग्रस्त पर चले आ रहे अर्सा दराज से कब्जे एवं स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त के आधार पर वादी को खातेदार घोषित नहीं कर जबरिया बेदखल करने की धमकी दी गई तथा दिनांक 30.06.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किये जाने की जानकारी दी गई जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से सम्पर्क कर दिनांक 12.10.2022 को उक्त प्रकरण की नकल निकलवाने पर जानकारी हुई कि वादी को बिना सुने ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को बिना सुने ही, वादी की कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने के आदेश किये जा चुके है। उक्त आदेशों की आड में जबरिया बिना किसी हक अधिकार के ही वादी को बेदखल किये जाने पर आमदा है, जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी को हक अधिकार हांसिल है कि गत राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी के कब्जे काश्त को देखते हुये वादी को विवादग्रस्त भूमि खसर नं0 5719 रकबा 0.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के नाम का अंकन करवाये तथा साथ ही प्रतिवादीगण का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध करवाये कि प्रतिवादीगण वादी को उसके अर्सा दराज से चले आ रहे निर्बाध कब्जे की भूमि से ना तो स्वंय बेदखल करें, ना ही बेदखल करने की धमकी दें, ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति /संस्था को हस्तानान्तरित करें, ना हीं उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी स्वंय करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवाये ।

वादी द्वारा वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा है कि वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर गत राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी के कब्जेकाश्त को देखते हुए वादीगण को विवादग्रस्त भूमि खसरा 5719 रकबा 0.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान राजसव रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम का अंकन किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उनके अर्से दराज से चले आ रहे निर्बाध कब्जे की भूमि से ना तो स्वयं बेदखल करे, ना ही बेदखल करने की धमकी दे, ना ही बेदखल करने के संबंध में विभागीय कार्यवाही करे, ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को हसतानान्तरित करें, ना ही उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी स्वयं करें व ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी को वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 5719 रकबा 0.14 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वादी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चल रही खातेदारी भूमि का [illegible] के नाम से घोषणा करवाना चाहते हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर [illegible] ने भी एडवर्स पजेशन के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि एडवर्स पजेशन ([illegible] कब्जे) के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर अन्य की [illegible] की घोषणा एडवर्स पजेशन के आधार पर नहीं की जा सकती। वादी ने उक्त वाद में ऐसा [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

या जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी में सहवन से रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हुआ है।

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

महावीर बनाम राजस्थान सरकार
मु0 नं0 85/2022
निर्णय दिनांक 08.04.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

1. महावीर पुत्र शंकरलाल, उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहामण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–85/2022

निर्णय दिनांकः– 08.04.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 5719 रकबा 0.14 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि खाता सख्या 1 में दर्ज राज्य सरकार की खातेदारी भूमि था अतः प्रकरण में घोषणा एवं दुरुस्ती पूर्व से ही राज्य सरकार की खातेदारी भूमि होने से नहीं की जा सकती है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.04.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner